

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 467]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 अगस्त 2017—भाद्र 2, शक 1939

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्र. 13936-192-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18 अगस्त 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

#### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २०१७

### मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग ( संशोधन ) अधिनियम, २०१७

[दिनांक 18 अगस्त, 2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 24 अगस्त, 2017 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, २०१७ है. संक्षिप्त नाम.
२. मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, १९९४ (क्रमांक ३ सन् १९९४), (जो इसमें इसके पश्चात् धारा ३ का संशोधन. मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में,—
  - (एक) शब्द "चार अन्य सदस्यों" के स्थान पर, शब्द "चार अन्य सदस्यों तक" स्थापित किए जाएं;
  - (दो) पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"परन्तु आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमानी नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है."

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, शब्द "चार" का लोप किया जाए.

धारा ४ का संशोधन.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2017

क्र.-13936-192-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 24 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 24 OF 2017

**THE MADHYA PRADESH RAJYA VITTA AYOGE (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017**

[Received the assent of the Governor on the 18<sup>th</sup> August, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)", dated the 24<sup>th</sup> August, 2017].

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

**Short title.**

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017.

**Amendment of Section 3.**

2. In section 3 of the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), (hereinafter referred to as the principal Act),—

- (i) for the words "four other members", the words "upto four other members" shall be substituted;
- (ii) for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that no act or proceeding of the Commission shall be invalidated merely by reason of any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Commission."

**Amendment of Section 4.**

3. In Section 4 of the principal Act, the word "four" shall be omitted.